निविदा सूचना

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित बस स्टेशनों पर साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार पार्किंग के ठेके हेतु की निम्न विवरणानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म का शुल्क ₹ 210.00 नकद जमा कर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, 25 सरदार पटेल मार्ग इलाहाबाद से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र/शर्ते आदि परिवहन निगम के बेवसाइट www.upsrtc.com से भी डाउनलोड की जा सकती है, बेवसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा के साथ ₹ 210.00 का एक अलग बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता को आपने पैनकार्ड की फोटोप्रति भी जमा करनी होगी तथा मोबाइल नम्बर भी अंकित करना होगा।

1. निविदा खोले जाने का दिनांक व समय		दिनांक 22.12.2016 को 15:00 बजे तक।	
2. निविदा फार्म क्रय करने की तिथि		दिनांक 21.12.2016 तक (अवकाश दिन छोडकर)	
3. निविदा फार्म जमा करने का स्थान एवं तिथि		दिनांक 22.12.2016 समय 14:00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 25 सरदार पटेल मार्ग, राजापुर, इलाहाबाद	
4 पार्किंग हेतु ठेके का विवरण निम्नवत् है:-			
क्रमाक	बस स्टेशन का नाम	संचालन अवधि	आरक्षित मूल्य/ प्रतिमाह शुल्क (अन्य समस्त कर अतिरिक्त) एवं क्षेत्रफल
1.	जीरोरोड	01.12.2016 से 01 वर्ष	₹ 10,100.00 क्षेत्रफल 375 वर्ग मी0

प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (सम्पूर्ण एक वर्ष का) की 25% के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो "क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा। किसी भी दशा में चेक मान्य नही होगा। निविदा राशि के 25% से कम का बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (01 वर्ष) की निविदा राशि निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। 2.266% आयकर एवं सेवाकर की तत्समय प्रचलित दर तथा विद्युत शुल्क व्यापारिक दर पर प्रतिमाह सम्बन्धित डिपो के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त धनराशि न जमा किये जाने पर प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वतन्त्र होगा। निविदाकर्ता को दो पास पोर्ट साइज फोटो अपने नाम/पता के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र निविदा स्वीकृत होने के 15 दिन के अन्दर कार्यालय मे देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी। निगम प्रशासन द्वारा आवंटित किये गये स्थान पर ही की पार्किंग का ठेका संचालित करना होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

निगम के बस स्टेशन पर वाहन पार्किंग हेतु शुल्क का निर्धारण निम्नवत् रहेगा:-

क्र0स0	पार्किंग किये जाने वाले वाहनो का विवरण	पार्किंग की दरें नगर निगम वाले शहरों में।
1	कार एवं चार पहिया वाहन	₹ 20.00 प्रथम चार घण्टे, उसके उपरान्त ₹ 6.00 प्रति घण्टा।
2	स्कूटर/मोटर साईकिल	₹ 10.00 प्रथम चार घण्टे, उसके उपरान्त ₹ 3.00 प्रति घण्टा।
3	साईकिल	₹ 5.00 प्रथम चार घण्टे, उसके उपरान्त ₹ 2.00 प्रति घण्टा।

निविदा की शर्ते पूर्ण न पाये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अतः नीलामी की शर्ते भली-भाँति पढकर/समझकर ही निविदा फार्म की औपचारिकतायें पूर्ण करें। अन्य शर्ते इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। निविदा कर्ता को ठेके के अनुबन्ध हेतु कुल ठेका मूल्य का 4% के समतुल्य धनराशि का स्टैम्प पेपर उपलब्ध कराना होगा। निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है। परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा, निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन केवल निगम की उपरोक्त बेवसाइट पर होगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद,

पत्रांकः 7021 /जन/क्षे0प्र0/इला0/निविदा/16 दिनांक 05.12.2016 7.12.16

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि दिनांक 30.11.2016 को 10.00 बजे से 25 सरदार पटेल मार्ग राजापुर, इलाहाबाद क्षेत्रीय प्रबन्धक स्थित उ0प्र0 परिवहन निगम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. प्रधान प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा विज्ञाप्ति को परिवहन निगम वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी इलाहाबाद क्षेत्र,।
7. नोटिस बोर्ड/प्रधान कोषाधक्षक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

Downloaded from www.upsrtc.com

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज का फोटो		उ0प्र0रा0स0प0नि0 क्रम0सं0 एएलडी.................

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

निविदा प्रपत्र

मूल्य ₹ 210.00
रसीद सं0 / डी0डी0नं0

निविदा जारी करने का दिनांक...निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव मोहर...

1.– निविदा दाता का नाम : ....

2.– पिता का नाम : ....

3.– स्थायी पता : ....

....

4.– बस स्टेशन, क्षेत्र एंव ठेके का विवरण : ....

....

5.– स्टाल संचालन की अवधि : ....

6.– प्रस्तावित प्रतिमाह
लाइसेंस शुल्क(शब्दों में)..

(अंकों में)..

7. – प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण : ....
....

उक्त दी गई सूचनायें सही हैं एंव यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है, तो इस हेतु व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी रहूंगा।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोटः– एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है, तो जमा अर्नेस्ट मनी एंव प्रतिभूति धनराशि का बैक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एंव उसका निर्णय अन्तिम होगा। निविदा प्रपत्र नियमावली सहित, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

मुख्य शर्तें

निविदा की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. जिन संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा कर्ता द्वारा प्रस्तावित पार्किंग निविदा राशि (सम्पूर्ण एक वर्ष का) की 25% राशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा। किसी भी दशा में चेक मान्य नहीं होगा। निविदा राशि के 25% धनराशि से कम संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (एक वर्ष) की निविदा राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर में जमा की गई प्रतिभूति घनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमन्त्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वतंत्र होगा।
3. निविदाकर्ता को अपनी दो पासपोर्ट साइज के फोटो, अपने नाम/पता के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा एंव जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र निविदा स्वीकृत होने के 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0प्र0 परिवहन निगम, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा के माध्यम से दिये गये(स्वीकृत) प्रस्ताव को निरस्त करते हुए निविदा के साथ जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. जिस ठेके एंव स्थान के लिए निविदा दिया जा रहा है, उस ठेके का नाम व स्थान का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित करना होगा।
5. अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार नहीं किया जायेगा।
6. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा ठेका के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही ठेका संचालित करना होगा।
7. ठेके का निस्तारण निविदा में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा, सक्षम अधिकारी की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

क्रमश..........

Downloaded from www.upsrtc.com

8. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् शर्तो का अनुबन्ध नियमानुसार देय 4 % कुल ठेका मूल्य धनराशि का या समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर की धनराशि के गैर–न्यायिक स्टैम्प पर करना होगा, यदि स्टैम्प शुल्क राशि मे भविष्य मे कोई कमी आती है, तो उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित निविदाकर्ता का होगा। बिना अनुबन्ध के पार्किग शुल्क की वसूली हेतु स्थल का कार्यादेश पत्र जारी नही किया जायेगा।
9. निविदा प्रपत्र को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकेगा, परन्तु विलम्ब से प्राप्त किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. प्रतिभूति की धनराशि एवं बेवसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र की धनराशि के समतुल्य धनराशि का बैक ड्राफ्ट **क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, इलाहाबाद** के पक्ष में देय होना चाहिए, दोनों धनराशि का अलग–अलग बैक ड्राफ्ट ही मान्य होगा। इस कार्यालय से क्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य का बैक ड्राफ्ट नही लगाना होगा।
11. 2.226% आयकर(यदि वृद्धि होती है तो बढे हुए दर से) एवं सेवा कर (तत्समय प्रचालित दर से) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विद्युत शुल्क के साथ जमा करना होगा।
12. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तो को पूरा नही करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।
13. निविदा प्रपत्र का शुल्क ₹ 200 एवं अन्य कर की धनराशि इस कार्यालय के कोष मे नकद जमा करके प्राप्त किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र क्रय करने वाले निविदाकर्ता को अपने पैन कार्ड की फोटो कापी जिस पर मोबाइल नं0 अंकित हो जमा करना अनिवार्य होगा।
14. निविदाकर्ता को निविदा के साथ इस आश्य का नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि वह अपधारिक एंव संदिग्ध चरित्र का नही है। जिस निविदा के साथ उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र(मूलरूप मे) संलग्न नही होगा उस पर विचार नही किया जायेगा।
15. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ इस आशय का नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय एक माह की नोटिस दिये जाने पर, वह अपना ठेका समाप्त कर देगा और पार्किग राशि की वसूली बन्द कर देगा अन्यथा प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

क्रमश.........

Downloaded from www.upsrtc.com

उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों में वाहन पार्किंग ठेका नियमावली–2012

यह नियमावली उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों में निगम व अनुबन्धित बसों को छोड़कर साईकिल/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार पार्किंग पर लागू होगी ।

1. पार्किंग ठेका एक वर्ष के लिये दिया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में अंकित ठेका प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुमन्य होगा, जिसका नवीनीकरण अथवा अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक बस स्टेशन की निविदा पृथक–पृथक होगी। एक ही निविदा एक से अधिक स्थल के लिये निविदा मान्य नहीं होगी। पृथक–पृथक स्थल के लिये पृथक निविदायें प्रस्तुत करनी होगी।
3. क्षेत्र के अर्न्तगत सभी स्टेशनों के नोटिस बोर्ड में निविदा सूचना नीलामी तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पक्ष में प्रत्येक स्थल हेतु निविदा फार्म का शुल्क ₹ 200/–एंव अन्य कर की धनराशि नगद जमाकर प्राप्त कर सकेंगे एंव निविदाकर्ता को अपने पैन कार्ड की फोटो प्रति भी जमा करना होगा, तथा मोबाइल नम्बर भी अंकित करना होगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा कर्ता द्वारा प्रस्तावित पार्किंग निविदा राशि (सम्पूर्ण एक वर्ष का) की 25% धनराशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा। किसी भी दशा में चेक मान्य नहीं होगा। निविदा राशि के 25% धनराशि से कम संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (एक वर्ष) की निविदा राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नई निविदा आमन्त्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वतंत्र होगा। अनुबन्ध होने के पश्चात् प्रत्येक माह की दस तारीख तक 2.226% आयकर(यदि वृद्वि होती है तो बढे दर से) एवं सेवाकर (तत्समय प्रचालित पर से) तथा वाणिज्यिक दर से विद्युत शुल्क(मीटर रीडिंग के अनुसार) जमा करना होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् शर्तों का अनुबन्ध नियमानुसार देय 4% धनराशि या समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर की धनराशि के स्टैम्प पेपर पर करना होगा यदि स्टैम्प शुल्क की राशि मे कोई कमी भविष्य में आती है तो उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित निविदाकर्ता को होगा। बिना अनुबन्ध के पार्किंग शुल्क वसूली हेतु स्थल का कार्यादेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा अनुबन्ध के पश्चात् ही कार्यादेश पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों को पूरा न करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
7. नगर निगम/विकास प्राधिकरण/पुलिस/लोक निर्माण विभाग या माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा निविदा क्षेत्र में किसी प्रकार से जितना भी अतिक्रमण हटा दिया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तरदायी नहीं होगा। यह प्रक्रिया दैनिक आपदा, दंगा कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण निविदा बन्द रहने पर जो उक्त प्रकार से क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तरदायी नहीं होगी।
8. निविदा कर्ता को दो पासपोर्ट साइज के फोटो अपने नाम/पता के प्रमााणीकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदत्त चरित्र प्रमााण पत्र निविदा स्वीकृत होने के 15 दिन के अन्दर कार्यालय में देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा निर्धारित चौहद्दी स्थल में ही निर्धारित दरों के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार निविदाकर्ता को होगा तथा स्थल पर वसूली करनें हेतु निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मियों को लाल रंग की प्रिन्टेड एप्रेन एंव पूर्ण विवरण सत्यापित फोटो सहित चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
10. पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों की जाँच मेटल डिटेक्टर से कराने हेतु निविदाकर्ता को सुरक्षा गार्ड अपने व्यय पर लगाना होगा। मेटल डिटेक्टर का व्यय निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

क्रमश...........

Downloaded from www.upsrtc.com

11. पार्किंग स्थलों का कार्यकाल 24 घन्टे प्रभावी होगा इस सूचना को भी सूचना पट पर लिखना होगा।
12. पार्किंग स्थलों के निविदाकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा निर्धारित निम्न प्रारुप के अनुसार कूपन स्वयं के व्यय पर छपवायेगा जो प्रत्येक स्थल के लिये अलग–अलग रंग का होगा तथा प्रत्येक कूपन पर टोकन नम्बर, निविदा स्थल की सीमा, निविदाकर्ता का नाम/पता/फोन नम्बर, पार्किंग की दरें प्रत्येक का स्पष्ट उल्लेख करेगा। निविदाकर्ता द्वारा केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा निर्धारित चौहद्दी स्थल में ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जायेगा। टोकन प्रयोग करने से पूर्व उसका सत्यापन सम्बन्धित बस स्टेशन के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक से कराना होगा जिस पर स्टेशन प्रभारी से नीचे के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होंगे। इन सभी कूपनों का इन्द्राज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा जिस पर सम्बन्धित अधिकारी की मोहर लगवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन के उपरान्त ही कूपन प्रयोग मे लाये जायेंगें। बिना सत्यापन के कूपन प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम ₹ 10,000/– का अर्थदण्ड देय होगा।

टोकन का प्रारुप

<u>उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम</u>

पार्किंग सथलों हेतु टोकन		**रसीद सं0**
परिवहन निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थल का नामः–		
ठेकेदार का नामः–		
पार्किंग की दरें	**नगर निगम वाले शहरों में**	**अन्य शहरों में**
कार एवं चार पहिया वाहन	₹ 20.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 06.00 प्रति घन्टा	₹ 15.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 03.00 प्रति घन्टा
स्कूटर/मोटर साइकिल	₹ 10.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 03.00 प्रति घन्टा	₹ 05.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 02.00 प्रति घन्टा
साईकिल	₹ 05.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 02.00 प्रति घन्टा	₹ 02.00 प्रथम चार घन्टे, उसके उपरान्त ₹ 01.00 प्रति घन्टा

उपर्युक्त दरों से अधिक की वसूली वाहन मालिकों से किये जाने, निर्धारित दर का कूपन न प्रयोग करने, वर्दी न धारण करने, परिचय पत्र न लगाने या कोई प्रमाण पत्र अथवा इस सम्बन्ध में की गई शिकायत सही पाये जाने पर वार्षिक निविदा धनराशि का दस प्रतिशत तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा। द्वितीय बार उल्लघन करने पर निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. पार्किंग शुल्क वसूली की अवधि समाप्त होने पर निविदाकर्ता का पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
14. निविदा की अवधि में शासन द्वारा लगाये गये कर/शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता को होगा।
15. निविदा उस समय तक स्वीकृत नहीं समझी जायेगी जब तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति न दे दी जाये।
16. निविदाकर्ता स्थल पर अपने व्यय से **4×2.5 फिट** का सूचना पट जिस पर निविदा कर्ता का नाम/पता/स्थल की चौहददी एवं दर की सूची अंकित हो लगवायेगा तथा इसकी देखरेख व सुरक्षा करेगा। पार्किंग स्थल का प्रयोग टैक्सी स्टैण्ड अथवा अन्य प्रकार से नहीं किया जायेगा।
17. न्यायालय अथवा जनहित में शासन द्वारा पारित आदेश के अर्न्तगत निविदा समाप्त की जाती है तो निविदाकर्ता बिना किसी आपत्ति के सम्बन्धित पार्किग स्थल पर वाहन पार्किंग कराकर पार्किंग शुल्क वसूली का कार्य तत्काल बन्द कर देगा। ऐसी दशा में निविदाकर्ता की शेष समय की आनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के कास चेंक द्वारा वापस कर दी जायेगी किन्तु निविदा के दौरान यदि कुछ अवधि की कटौती जनहित में आवश्यकतानुसार अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है तो इस क्षति पूर्ति का उत्तादायित्व उ0प्र0 परिवहन निगम इलाहाबाद पर नहीं होगा और न ही निविदाकर्ता द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

क्रमश......

Downloaded from www.upsrtc.com

18. निविदाकर्ता और वाहन स्वमी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। निविदाकर्ता तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। जिसके लिये निविदाकर्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा। वाहन खोने अथवा वाहन में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कर दायित्व निविदाकर्ता का होगा।
19. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थल पर कूपन उस व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा जिससे वसूली की जानी है, जिसमें उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर अंकित करना आवश्यक होगा।
20. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ इस आशय का नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय एक माह की नोटिस दिये जाने पर वह अपना ठेका समाप्त कर देगा और पार्किंग राशि की वसूली का कार्य बन्द कर देगा, अन्यथा जमा प्रतिभूति घनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. उ0प्र0 परिवहन निगम के अधिकारी/कर्मचारीगण, उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार के सरकारी वाहन तथा मा0 न्यायमूर्ति/मा0 न्यायधीशगण के वाहन एवं उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा अधिकृत पत्रकारगण तथा विकलांग के वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे अर्थात इनसे निविदाकर्ता कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा विकलांगगण को वाहन पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल पर बोर्ड लगाकर शासनादेश के अनुसार 5% स्थान सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
22. यदि पार्किंग स्थल का कब्जा सम्बन्धित निविदाकर्ता को दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदाकर्ता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रकरणों पर निर्णय करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक का होंगा। निविदाकर्ता यदि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा लिये गये निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन) को अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। जिस पर मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
23. पार्किंग स्थलों की चौहददी क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय से उपलब्ध निर्धारित सूची के अनुसार होगी।
24. स्वीकृत निविदा में से कोई निविदा वर्ष के दौरान जनहित में शासन, जिला–प्रशासन के निर्णय द्वारा अवधि से पूर्व समाप्त की जाती है तो निविदाकर्ता को समानुपातिक धनराशि से छूट दी जायेगी।
25. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने का ठेका निर्धारित अवधि के बीच में कम से कम एक माह की नोटिस देकर ठेका छोड़ सकेंगे अन्यथा प्रतिभूति धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
26. खुले स्थान पर पार्किंग स्थल पर निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का पक्का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही पार्किंग चौहददी में किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि नहीं लगवाई/लगाई जायेगी केवल निर्धारित स्थल चौहददी को बांस व टट्टर या कांटेदार तार से घेरा जायेगा। किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ऐसा करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी अथवा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
27. पार्किंग स्थल पर अवैध/ चोरी की वाहन पकड़े जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
28. निविदाकर्ता को निविदा प्रारुप के साथ इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि वह अपराधिक एवं सदिग्ध चरित्र का नहीं है।
29. निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में उ0प्र0 परिवहन निगम को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के ठेका निरस्त कर दें, तथा निविदाकर्ता द्वारा जमा धनाराशि जब्त कर लें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

Downloaded from www.upsrtc.com